

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना-मेहनगर

2 किलो 240 ग्राम गांजे के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवम् अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत दिनांक 28.12.2020 को निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराहियान द्वारा तलाश वांछित अभियुक्तगण एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में करबा मेहनगर में मौजूद थे कि उसी दौरान मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति यूनियन बैंक के पास गांजा बेच रहा है। इस सूचना पर निरीक्षक अपराध मय हमराह फोर्स के मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को 2 किलो 240 ग्राम नाजायज गांजा व बिक्री के 3800/ रुपये के साथ समय करीब 20.35 बजे गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम अभियुक्त चन्द्रकान्त यादव पुत्र स्व० लालजी यादव सा० बहादुरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-220/2020 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

चन्द्रकान्त यादव पुत्र स्व० लालजी यादव सा० बहादुरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 220/20 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. 2 किलो 240 ग्राम नाजायज गांजा
2. बिक्री के 3800/ रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराह थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना-महराजगंज

01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त अमरजीत पुत्र लालचन सा० खानमलपुर मठिया थाना महाराजगंज आजमगढ़ द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की पुत्री से छेड़खानी करना तथा शोर मचाने पर वादी की पत्नी का जाग जाना तथा दौड़ाने पर जान माल की धमकी देते हुए भाग जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 285/20 धारा 354, 452, 506 IPC व 7/8 पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया।

महिला सम्बन्धित संगीन अपराधो पर रोकथाम लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में दि नांक 29.12.2020 को उ०नि० (प्रशिक्षु) मय हमराह के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र, जाँच प्रा० पत्र व पेंडिंग विवेचना 285/20 धारा 354, 452, 506 IPC व 7/8 पास्को एक्ट में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा 285/20 धारा 354, 452, 506 IPC व 7/8 पास्को एक्ट से संबंधित आरोपी अमरजीत पुत्र लालचन सा० खानमलपुर मठिया थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ अपने घर पर आया है तथा पीड़िता के परिवार वालों को मुकदमे में सुलह कर लेने हेतु धमका रहा है, इस सूचना पर क्षेत्र में पूर्व से मामूर अपाची मोबाइल कर्मचारी गण का० अरविन्द यादव व का० रामसरन को क्षेत्र से तलब कर तत्काल मौके पर पहुँचे व देखा कि एक व्यक्ति वादी मुकदमा के घर के सामने खड़ा होकर ललकार रहा था। पुलिस टीम को देख कर अपने दरवाजे की तरफ मुड़कर भागने का प्रयास किया कि दो तीन कदम पर ही पुलिस टीम द्वारा एकबारगी दबिश देकर उसके घर के दरवाजे पर ही पकड़ लिया गया, पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम अमरजीत पुत्र लालचन सा० खानमलपुर मठिया थाना महाराजगंज आजमगढ़ बताया, आरोपी उपरोक्त को मु०अ०सं० 354, 452, 506 IPC व 7/8 पास्को एक्ट का अपराध बताकर समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 285/20 धारा 354, 452, 506 IPC व 7/8 पास्को एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

अमरजीत पुत्र लालचन सा० खानमलपुर मठिया थाना महाराजगंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SI (UT) योगेन्द्र प्रसाद यादव, म०का० सपना, का० रामसरन व का० अरविन्द यादव

थाना- महाराजगंज

मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी मंशा पुत्र चतुरी सा० हरखपुरा खास के पुत्र इन्द्रेण व भतीजा अमरजीत पुत्र रामनाथ द्वारा मोटर साइकिल अपाची नं० UP 50 BS 5541 से महाराजगंज बाजार से घर जाते समय प्रार्थी के गाँव के पंचायत भवन के पास अभियुक्तगण द्वारा रोक लेना तथा मोटर साइकिल को क्षतिग्रस्त कर देना व शोर मचाने पर वादी का चचेरा भाई कन्हैया पुत्र शिवजोर तथा गांव के नन्दू पुत्र गाजर द्वारा मौके पर पहुँचने पर अभियुक्तगण द्वारा गाली गुप्ता देते हुए घर में घुसकर फावड़ा, कुदाल, लाठी, डण्डे से मारना पीटना जिससे मौके पर ही अमरजीत पुत्र रामनाथ, नन्दू पुत्र गाजर, कन्हैया पुत्र शिवजोर का बेहोश हो जाना तथा वादी के परिवार के औरतों द्वारा बीच बचाव करने जाने पर गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 244/20 धारा 147, 148, 341, 323, 504, 452, 427, 308, 506 IPC पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में दि नांक 28.12.2020 को उ०नि० मय हमराही के साथ थाना से रवाना होकर तलाश वांछित/वारंटी तथा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, जाँच प्रा० पत्र, पेंडिंग विवेचना मु०अ०सं० 244/20 धारा 147, 148, 341, 323, 504, 452, 427, 308, 506 IPC में मामूर थे कि मुखबिर खास ने बताया कि मुकदमा मु०अ०सं० 244/20 धारा 147, 148, 341, 323, 504, 452, 427, 308, 506 IPC से संबंधित आरोपी विनोद पुत्र बिसई राम सा० हरखपुरा खास (बेलडाड़) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़, शिवशंकरी तिराहा के पास मौजूद हैं, सूचना पर विश्वास कर उ०नि० मय हमराही कर्मचारी गण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते शिव शंकरी तिराहा के पास आये जहाँ पर एक व्यक्ति पेड़ के पास खड़ा था जो कहीं जाने की फिराक में किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ़ गया पुलिस टीम द्वारा खड़े हुए व्यक्ति को एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम विनोद पुत्र बिसई राम सा० हरखपुरा खास (बेलडाड़) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया गया, पकड़ा गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 147, 148, 341, 323, 504, 452, 427, 308, 506 IPC का वांछित अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी

से अवगत कराकर समय करीब 20.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

विनोद पुत्र बिसई राम सा0 हरखपुरा खास (बेलडाड़) थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 244/20 धारा 147, 148, 341, 323, 504, 452, 427, 308, 506 IPC

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-219/2018 धारा 147, 149, 323, 427, 452 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0-149/2019 धारा 323, 506 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व में SI हौसिला प्रसाद सिंह मय हमराही कर्मचारी गण हे0का0 उमाकान्त यादव , हे0का0 रमेश कुमार

थाना- महाराजगंज

01 नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्तगण द्वारा बकरे के मीट खरीदने के विवाद को लेकर एक राय होकर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने हाथों में मांस काटने वाला छुरा ,तलवार, व कट्टा लेकर ललकारते हुए मारना पीटना तथा मौके पर बीच बचाव करने जाने पर विजय बहादुर यादव , दुर्गा पुत्र विनोद सोनकर , सुनील यादव पुत्र फुलचन्द को भी मारना पीटना जिससे मौके पर ही सुनील यादव का जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाना । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 93/20 धारा 147 ,148,149,323,352,504,308 IPC व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क SC/ST ACT पंजीकृत किया गया।

वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दिनांक 29/12/20 को उ0नि0 मय हमराही कर्म0 गण के देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित/वारंटी व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के NBW/वारंटी के गिरफ्तारी के अभियान के आदेश के क्रम में क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि आप जिस NBW अभियुक्त की तलाश कर रहे है वह परशुरामपुर बाजार में मौजूद है इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम तत्काल रघुपुर बैंक ड्यूटी में लगे कर्मचारी को हस्वबुल तलब कर वारंटी की तलाश में परशुरामपुर बाजार में पहुँचे तो देखा कि एक व्यक्ति चाय के दुकान के पास बैठा मिला जिसे पुलिस द्वारा पकड़ कर नाम पता पूछा गया तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम अकीलुर्हमान बताया, बाद बताने सम्बन्धित एसटी0नं0 78/2020 अ0सं0 93/20 धारा 147 ,148,149,323,352,504,308 IPC व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क SC/ST ACT के वारंटी उपरोक्त को समय करीब 10.35 बजे सुबह में हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

अभियुक्त अकीलुर्हमान पुत्र ऐनुरसीद सा0 जुड़ाखुर्द थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 93/20 धारा 147,148,149,323,352,504,308 IPC व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क SC/ST ACT

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-56/84 धारा 336, 325, 504 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0-117/96 धारा 452, 323, 504, 506 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0-76A/98 धारा 323, 504, 506 IPC थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO श्री गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश प्रसाद, का0 बीरेन्द्र यादव, HG प्रमोद पाण्डेय

थाना- मेहनगर

01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 29.12.2020 प्रभारी निरीक्षक प्रशान्त कुमार मय हमराही फोर्स के देखभाल क्षेत्र व क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा मु0अ0सं0 98/20 धारा 342/384/504/506/323/307 भादवि व 3(1)द 3(1)ध 3(2)5 SC/ST ACT से सम्बन्धित हुकुम तहरीरी मे मामूर थे कि जरिये मुखबिस सूचना मिली की मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त देवी प्रकाश यादव पुत्र राममूरत यादव सा0 गंजोर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ कही जाने की फिराक मे करौती पुलिया पर खड़ा है। की सूचना पर विश्वास कर प्रभारी निरीक्षक मय हमराह फोर्स मय मुखबिर के मौके पर पहुच कर अभियुक्त देवी प्रकाश यादव पुत्र राममूरत यादव सा0 गंजोर को करौती पुलिया से नाम पता तस्दीक कर समय करीब 14.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-98/20 धारा 342/384/504/506/323/307 भादवि व 3(1)द 3(1)ध 3(2)5 SC/ST थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 74/14 धारा 356 भादवि
2. मु0अ0सं0 104/16 धारा 147/323/506/504/452 भादवि
3. मु0अ0सं0 168/16 धारा 147/323/504/506 भादवि
4. मु0अ0सं0 17/17 धारा 147/148/149/307/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. देवी प्रकाश यादव पुत्र राममूरत यादव सा0 गंजोर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रशान्त कुमार मय हमराह